



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 1 जुलाई, 2021
आषाढ 10, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-673/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ०प्र०अधि०नियम-2017-आदेश(191)-2021
लखनऊ, 1 जुलाई, 2021

शुद्धि-पत्र

प०आ०-213

राज्य कर अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 587/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(182)-2021, दिनांक 16 जून, 2021, में -

हिन्दी पाठ में,

(क) सारणी में, क्र० सं० 8 के समक्ष, कालम (2) में, अंक "3804 94" के स्थान पर अंक "3808 94" पढ़ा जाये।

अंगजो पाठ में,

(a) In the Table, against Si, No. 8, in column (2), for Number "3804 94", read Number "3808 94".

आज्ञा से,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।